Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Doranda,
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

मीडिया रीलिज

कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर से आयात बढ़ा

कोयला मंत्रालय का राज्य सभा में परिमल नथवाणी को उत्तर

मई 7, 2012 : कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना के अनुसार कोयले की अनुमानित मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2008-09 में यह अंतर 60.83 मिलियन टन था। जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 161.50 मिलियन टन हुआ। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान कोल का आयात भी 59 मिलियन टन से बढ़कर करीब 98.9 मिलियन टन जितना हुआ। इस अंतर में वृद्धि इसलिए हुई क्यों कि माग में वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन में कम वृद्धि हुई। केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री श्री प्रतिक प्रकाशबापु पाटिल ने आज राज्य सभा में श्री परिमल नथवाणी के इस विषय में उठाए गए कतिपय प्रश्नों के उत्तर में दिया।

मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने देशमें कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रृंखला बद्ध कदम उठए गए हैं। आपने कहा कि जो कदम उठाए गए है उनमें पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां जल्द से जल्द प्राप्त करने, रेल रेको की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेलवे मंत्रालय से सम्पर्क करने और भूमि अधिग्रहण तथा कानून व्यवस्था में सहायता के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क करने जैसे कदम शामिल है।

आपने आगे कहा कि कोल इन्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भी अनेक कदम उठाएं गए हैं। इनमे उपकरणों की कार्यक्षमता बढ़ाना, उनकी नियमित मोनिटरींग करना, यांत्रिकीकरण और पर्यावरण तथा वन विभाग की मंजूरियों से सम्बंधित तथा भूमि ग्रहण और कानून व्यवस्था के प्रश्नों का समाधान जैसे कदम शामिल है।

कोयला खण्डों की प्रतिस्पर्धात्मक बोली के विषय में श्री नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में मंत्रीजी ने कहा कि सरकार ने भारत के राज-पत्र में 'कोयला खान नियमावली 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा निलामी' को 2 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया। आपने यह भी कहा कि कोयला ब्लोकों का आबंटन आगे से इस अधिनियम के संशोधित प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

श्री पाटिल ने यह भी कहा कि कोयला क्षेत्र में संसाधनों को विनियमित करने और संरक्षण करने तथा उनसे सम्बन्धीत मामलों तथा तत्सम्बधी घटनाओं के सम्बंध में एक कोयला विनियमाक प्राधिकरण का गठन किए जाने का प्रस्ताव भी है। प्रस्तावित विनियामक सभी कंपनियों के लिए कोयला क्षेत्रमें समान स्तर बनाने, कोयले का किफायती मूल्य निर्धारित करने और कार्य-निष्पादन के मानदण्ड आदि सम्बधी मुद्दों का समाधान करेगा, ऐसी सम्भावना है।

★ ★ ★